छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 01
दिनांक 04.07.2014

विषयः—विलम्ब चल रहे निर्माण/विकास कार्यों में ठेकेदारों को अनुपातिक प्रगति नहीं दिये जाने पर अनुबंध की धारा 2 के तहत पेनाल्टी राशि कटौती करने बाबत् ।

———00———

मुख्यालय में प्राप्त अनुबंधित निर्माण कार्यों (दिनांक 29.08.2012 के पूर्व) के अनेक अतिरिक्त समयावधि प्रकरणों के जांच/सुनवाई करते समय यह पाया गया है कि अनुबंधकारों द्वारा अनुपातिक प्रगति समयबद्धता के साथ नहीं किये जाने के कारण अनुबंधित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होता है/हो रहा है तथा अनुबंधकारों द्वारा ऐसे सभी विलंब से चल रहे निर्माण/विकास कार्यों को गंभीरतापूर्वक पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही है। कार्यपालन अभियंता भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध के समय प्रस्तुत किये गये बार चार्ट का अध्ययन नहीं कर रहे हैं इससे कार्य को पूर्ण करने एवं हितग्राहियों/निक्षेपकर्ता को भवनों का आधिपत्य सौंपने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

इसके अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता द्वारा चल देयकों के भुगतान के पूर्व भी ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों के विलंब बाबत् भी समीक्षा नहीं की जा रही है, जबकि चल देयक के भुगतान के पूर्व निविदा के अनुबंध की कण्डिका 2 में निहित प्रावधानों का अवलोकन उन्हें करना चाहिये, जिसमें विलंब की परिस्थितियों में अनुबंधकारों से निर्माण/विकास कार्यों के चल देयकों से कितनी राशि रोका/काटा जावे इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है।

अतः समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके संभाग के अतंर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की आवश्यकतानुसार प्रति माह/पाक्षिक/साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करें एवं समीक्षा के उपरांत ठेकेदार को प्रगति संबंधी सूचना/निर्देश पत्र आवश्यक रूप से जारी किया जावे। अनुबंध की धारा 2 में दिये प्रावधान के अनुसार विलम्ब से कार्य किये (धीमी प्रगति) जाने की दशा में प्रत्येक चल देयकों पर अनिवार्य रूप से अनुपातिक प्रगति के अनुसार दाण्डिक राशि रोकी/काटी जावे।

कार्यपालन अभियंता अतिरिक्त समयावधि प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित करते समय कार्य की प्रगति में आयी बाधा का प्रमाण सहित उल्लेख करते हुये चल देयकवार कटौती की गई राशि का विस्तृत विवरण तथा कार्य की प्रगति में विलंब हेतु गुण—दोष के आधार पर अपने स्पष्ट अनुशंसा के साथ अतिरिक्त समयावधि प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया जावे ताकि ठेकेदार द्वारा भी बार चार्ट के अनुसार कार्य की प्रगति देने हेतु दबाव बने एवं कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु गंभीर हो सके।

दिये गये निर्देशों का पालन यदि कार्यपालन अभियंता द्वारा नहीं किया जाता है अथवा विभागीय विलंब सिद्ध पाये जाने की दशा में कार्यपालन अभियंता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4/7/14

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

O/C

पृ0क0 560 /अ.आ./मुख्या./ 14, रायपुर, दिनांक 04/07/2014

प्रतिलिपि,

1. स्टॉफ ऑफीसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर ।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. उपायुक्त I / II छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
6. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
7. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग–1/2/3/4/राज. परि. संभाग–।/ ।। रायपुर/दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ कोरबा /राजनांदगॉव /रायगढ़/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग रायपुर

4/7/14

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर